

प्रमुख,

श्री आर्चक बाबुजी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग केन्द्र 2 नयाय केन्द्र,
प्रगति विहार नई दिल्ली ।

विभाग 171 अनुदान

मकसद: दिनांक: 27 जनवरी, 1997

विषय:- श्री गुरुनानक एकादमी नानक मत्ता हाईस्कूल अथमसिंह नगर मेनीताल को सी०बी०एस०के नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

अधुना विभाग पर मुझे यह कहे जा निदेश हुआ है कि श्री गुरुनानक एकादमी नानक मत्ता हाईस्कूल अथमसिंह नगर मेनीताल को सी०बी०एस०के नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रमाणों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केविक शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति नगर दि इन्डियन स्कूल तलीमिहेट इक्वायिजेशन नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था केविक एवं शिक्षागत कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुक्रम्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

Manager

Shri Guru Nanak Academy
Senior Secondary School
Nanakmatta Sahib (U.S.Nagar)
Uttarakhand

PRINCIPAL

Shri Guru Nanak Academy
Nanakmatta Sahib
U.S.Nagar (Uttarakhand)

6- कमिश्नरियों को सेवा में भर्ती करने और उन्हें सहायता प्राप्त आवासों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कमिश्नरियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जारी किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यार्थी का रिकार्ड नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुश्किल या कठिनाई होती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्राप्त पुस्तकें वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

अशोक गांगूली
संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 2124111/15-7-1997 तददिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- केंद्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ अखण्ड भौतीताल ।

3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, अध्यापक नगर ।

4- निरीक्षक, राज्य भारतीय विद्यालय उ०प्र०-लखनऊ ।

5- प्रधान, श्री गुरुनानक एकादमी नानक मठ साहिब अध्यापक नगर भौतीताल ।

आज्ञा है,

Manager

Shri Guru Nanak Academy
Senior Secondary School
Nanakmatta Sahib (U.S.Nagar)
Uttarakhand

PRINCIPAL

Shri Guru Nanak Academy
Nanakmatta Sahib
11 S. Nagar (Uttarakhand)

अशोक गांगूली
संयुक्त सचिव ।